

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./
प्रति,

/2018/रायगढ़, दिनांक - 04/09/2018

उपमहाप्रबंधक,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
ग्राम एवं पोस्ट कोतरा, नन्देली मार्ग
जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विषय :-

Diversion of 153.448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for Construction of 765 KV D/C (Hexa) Jharsuguda- Dharamjaygarh Transmission line in the District of Raigarh in the State of Chhattisgarh.

संदर्भ :-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक/FC-III/CH-09/2016-NGP/3106 दिनांक 12.01.2018
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/479-135/278 दिनांक 01.02.2018
3. वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़ का पत्र क्रमांक/मा.चि./2416 दिनांक 07.06.2018
4. वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल, कोरबा का पत्र क्रमांक/तक.अ./3484 दिनांक 18.05.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 765 के.वी. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन-II के निर्माण में प्रभावित कुल वन एवं राजस्व वन भूमि 153.448 हेक्टेयर वन एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अंतिम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (i से xxvi) का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र प्रेषित करें एवं वनमण्डल रायगढ़ धरमजयगढ़ एवं कोरबा का संयुक्त रूप से निम्नानुसार राशि जमा करें।

विवरण	रायगढ़	धरमजयगढ़	कोरबा	कुल
सिंचित वृक्षारोपण रकबा (हे.)	186.327	67.411	53.158	306.896
वर्ष 2018-19 के अनुसार आंकलित राशि	123021471.00	44507776.00	35097304.00	202626551.00
पूर्व में जमा राशि	111837565.00	40461805.00	31906601.00	184205971.00
अंतर की राशि	11183906.00	4045971.00	3190703.00	18420580.00
भू-जल संरक्षण कार्य रकबा (हे.)	86.999	23.120	12.033	122.152
कुल आंकलित राशि	4349975.00	1156000.00	601660.00	6107635.00
बौनी प्रजाति/औषधि रोपण क्षेत्र	13.905	5.508	3.967	23.380

वर्ष 2018-19 के अनुसार आंकलित राशि	7435442.00	2948839.00	2121889.00	12506170.00
पूर्व में जमा राशि	6759492.00	2680763.00	1928990.00	11369245.00
अंतर की राशि	675950.00	268076.00	192899.00	1136925.00
			कुल राशि	25665140.00

उपरोक्तानुसार राशि 2,56,65,140/- (रुपये दो करोड़ छप्पन लाख पैसठ हजार एक सौ चालीस) मात्र कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा चालान जनरेट कराकर जमा करें।

संलग्न:- संदर्भित पत्रों की छायाप्रति।

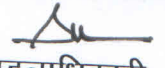

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 4845

/2018/रायगढ़, दिनांक - 04/10/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, कोरबा को। अंतिम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (i से xxvi) का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें।
4. वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ को। अंतिम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (i से xxvi) का संशोधित बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें।


वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़